न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या :– 02/2023 राजस्व अपील

उनवान

1 – श्रीमती सोना देवी पुत्री स्व0 श्री मनोहर सिह भाटी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार आयु 28 वर्ष नि0 वार्ड नम्बर 01 कालीमाता कॉलोनी अजमेर रोड, नृसिंहपुरा, ब्यावर तह0 ब्यावर जिला अजमेर जरिये पांवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्रीमती ममता भाटी पत्नी स्व0 श्री मनोहर सिंह भाटी नि0 वार्ड नम्बर 16 कच्ची बस्ती, कांवाखेडा भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।

2– श्रीमती मोना पुत्र स्व0 श्री मनोहर सिह भाटी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार आयु 28 वर्ष नि0 वार्ड नम्बर 01 कालीमाता कॉलोनी अजमेर रोड, नृसिंहपुरा, ब्यावर तह0 ब्यावर जिला अजमेर जरिये पांवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्रीमती ममता भाटी पत्नी स्व0 श्री मनोहर सिंह भाटी नि0 वार्ड नम्बर 16 कच्ची बस्ती, कांवाखेडा भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।

3– श्रीमती पायल पुत्री स्व श्री मनोहर सिह भाटी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार आयु 28 वर्ष नि0 वार्ड नम्बर 01 कालीमाता कॉलोनी अजमेर रोड, नृसिंहपुरा, ब्यावर तह0 ब्यावर जिला अजमेर जरिये पांवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्रीमती ममता भाटी पत्नी स्व0 श्री मनोहर सिंह भाटी नि0 वार्ड नम्बर 16 कच्ची बस्ती, कांवाखेडा भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।

4– श्रीमती ममता भाटी पत्नी स्व0 श्री मनोहर सिंह भाटी नि0 वार्ड नम्बर 16 कच्ची बस्ती कांवाखेडा भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।

—— अपीलार्थी

बनाम

1– लाला पुत्र श्री भंवर लाल दरोगा नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

2– ग्राम पंचायत हमीरगढ पं.स. सुवाणा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) जरिये संरपच ग्राम पंचायत हमीरगढ पं.सं सुवाणा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा

3– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——रेस्पोडेण्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा–75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 3214 दिनांक 20.04.2007 ग्राम पंचायत हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)</u>

उपस्थित –

1. **मंजूर मोहम्मद डायर, अपीलांट्स वकील**
2. **रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 2, अनु0**
3. **पेराकार सरकार उप0**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

—::निर्णय::—

दिनांक — 06.02.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील ग्राम पंचायत हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के नामान्तरणकरण संख्या 3214 दिनांक 20/04/2007 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व इस आशय की पेश की अपील की चरण संख्या 01 मे अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के परिवार का पारीवारिक सजरा वर्णित है व सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग— अ खाता संख्या— 1011 मे आराजी नम्बर 3643 रकबा 0.5690 हैक्टयर, भाग—ब खाता संख्या 134 मे आराजी नम्बर 3643/1 रकबा 0.5690 हैक्टयर, भाग—स खाता संख्या 1012 मे आराजी नम्बर 3645 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3646 रकबा 0. 0632 हैक्टयर स्थित है। अपील की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात अपीलार्थी संख्या 01 लगायत 03 के दादा व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार के श्वसुर भवंर लाल पुत्र श्री शिवनारायण दरोगा के जमाने की होकर अपीलार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जिसमे अपीलार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। अपील की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार अपील की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात मे भंवर लाल जी के हक हिस्से की भूमि मे 1/3 हक हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता व पति मनोहर जी का व 1/3 हक हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 01 लाला व 1/3 हक हिस्सा श्रीमती भंवरी देवी का होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व आज भी अपीलार्थीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 31/03/2023 को मौके पर आकर अपीलार्थीगण को भूमि से बेदखल करने व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे उनके नाम पर दर्ज होने से बेदखल करने व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस पर अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो पता चला कि अपीलार्थीगण के पिता व पति मनोहर सिंह जो कि प्रत्यर्थी संख्या 01 के सगे भाई होकर अपीलार्थीगण मनोहर सिंह की पत्नी व पुत्रीया होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है वभंवर सिंह जी का परिवार राशन कार्ड भी/21/0536 आवेदनपत्र की क्रंम संख्या 000758 पर जारी किया गया जिसमे भी भंवर सिंह जी के पुत्र मनोहर भी दर्शा रखा है व लाला का भाई मनोहर दर्शा रखा है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 01 व उनकी माता श्रीमती भंवरी देवी द्वारा अपीलार्थीगण जो कि मनोहर जी की पत्नी व पुत्रीया होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी होते हुए भी भंवर सिंह जी की विरासत का नामान्तरणकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं भंवरी देवी द्वारा अपने अकेले के पक्ष मे खुलवा लिया, जबकि अपीलार्थीगण भी मनोहर सिंह जी की पत्नी व पुत्रीया होने से अपीलार्थीगण का नाम भी विरासत से दर्ज होना चाहिए था व ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच पड़ताल किये, बिना वारीसान की जांच पडताल किये ,प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं भंवरी देवी से मिलीभगती कर प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं भंवरी देवी के पक्ष मे नामान्तरणकरण खोला है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण जो कि भंवर सिंह जी की पोत्रीया व पुत्रवधु होकर अपीलार्थीगण भंवर सिंह जी के विधिक वारीसान व उत्तराधिकारी है। केवल मात्र अपीलार्थीगण को उनके जायज हक हिस्से की भूमि को हड़प करने की नियत से बिना अपीलार्थीगण को सुने व बिना कोई जांच पडताल किये, गलत तरीके से अपने पक्ष मे उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

नामान्तरणकरण फैसल करवाया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए नामान्तरणकरण संख्या 3214 दिनांक 20/04/2007 को अपास्त कर अपील की चरण संख्या 02 मे वर्णित आराजियात मे अवैध नामान्तरणकरण की आड़ मे दर्ज प्रविष्ठीयो को निरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे भंवर सिंह के हक हिस्से मे 1/3 हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज कराने का निवेदन किया।

सर्वप्रथम धारा–05 कानून मियाद अधिनियम के बिन्दु पर सुना गया व अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरणकरण की जानकारी नही होने व प्रत्यर्थी द्वारा जबरन बेदखल करने की धमकी देने व नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त करने पर प्रथम पर जानकारी होने का कथन किया गया, जिसके समर्थन मे अपना शपथपत्र भी पेश किया गया। अपीलार्थीगण के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन मे प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हे, सामान्य न्याय सिद्वान्त दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के समय को कण्डोन कर अपील मियाद मे सुमार की जाती है व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रत्यर्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण संख्या 01 एवं 02 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील मेमो के साथ नामान्तरणकरण की नकल, भंवर पुत्र श्री शिवनारायण का मृत्यु प्रमाणपत्र, भंवर लाल का राशन कार्ड की फोटो प्रति, जन आधार कार्ड , जमाबंदी की नकल आदि पेश की गयी, जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थीगण द्वारा मामले मे लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपील स्वीकार फरमा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भंवर लाल पुत्र श्री शिवनारायण दरोगा के परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति जिसमे लालाराम, मनोहर व भंवरी बाई है, लालाराम, मनोहर व भंवरी बाई जो कि भंवर लाल के वैध उत्तराधिकारी है व राशन कार्ड मे भी पुत्र के रूप मे मनोहर पुत्र श्री भंवर लाल का नाम अंकित है, जन आधार कार्ड मे भी अपीलार्थीया संख्या 04 के पति का नाम मनोहर सिंह अंकित है। अपीलार्थीगण संख्या 01,02,03 मनोहर सिंह की पुत्रीया व भंवर लाल जी की पोत्रीया है व अपीलार्थी संख्या 04 मनोहर सिंह की पत्नी व भंवर लाल की विधवा पुत्रवधु है अर्थात भवंर लाल जी के अपीलार्थीगण भी विधिक वारीस व उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भंवर लाल दरोगा के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। उक्त नामान्तरणकरण भंवर लाल का खोला गया, तब अपीलार्थीगण के पिता व पति मनोहर सिंह भाटी भी जायन्दा पुत्र होने से उनका नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ,नाम दर्ज नही किया है, जो विधि मे प्रारम्भ से ही दोषपूर्ण है। अतः अपीलार्थीगण का नाम भी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है व साथ ही उक्त भूमि के संबध मे उक्त नामान्तरणकरण के बाद जो भी अंतरण व प्रविष्टिया दर्ज हुई है, जो अवैध होकर शून्य हो जाते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

: : आदेश : :

अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) के नामान्तरणकण संख्या 3214 दिनांक 20/04/2007 को निरस्त किया जाता है व उक्त नामान्तरणकरण के बाद समस्त दर्ज सभी प्रविष्ठियो को निरस्त कर, सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 1011 की आराजी नम्बर 3643 रकबा 0.5690 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3643/1 रकबा 0.5690 हैक्टयर, खाता संख्या 1012 की आराजी नम्बर 3645 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3646 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे श्री भंवर लाल पुत्र श्री शिवनारायण के हक हिस्से के विधिक वारिसान की हेसियत से तहसीलदार हमीरगढ उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/02/2023 दिनांकः 06.02.2024

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार हमीरगढ को पालनार्थ प्रेषित हो ।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

,,,,,,